न्यायालय :: प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन (म0प्र0)
समक्ष – विवेक कुमार गुप्ता

Registration No. RCS HM- 604/2022
C.N.R. No. M.P. 130200011632022
Filing No. RCS HM/679/2022
Filing Date . 07/11/2022

श्रीमती माधुरी पति श्री निलेश गेहलोद, पुत्री श्री नंदकिशोर जी राठौर, आयु 32 वर्ष, व्यवसाय गृहिणी, निवासी शुभ विहार कालोनी रतलाम, म.प्र.

....आवेदक क्र.–1

एवं

निलेश पिता चंद्रकाश गेहलोत , आयु 34 वर्ष, धंधा व्यापार, निवासी 56, लालबाई फूलबाई मार्ग उज्जैन, म.प्र.

....आवेदक क्र.–2

आवेदकगण द्वारा श्री रूपसिंह झाला अधिवक्ता।

// निर्णय //

(आज दिनांक **16.06.2023** को घोषित)

(1) आवेदकगण ने संयुक्त रूप से यह विवाह विच्छेद याचिका अंतर्गत धारा–13(बी) हिन्दू विवाह अधिनियम, उनके मध्य हिंदू रीति रिवाज अनुसार दिनांक 28.05.2011 को संपन्न विवाह को आपसी सहमति के आधार पर विच्छेदित कराये जाने हेतु प्रस्तुत की है।

(2) आवेदकगण की संक्षिप्त में याचिका यह है कि उनका विवाह दिनांक 28.05.2011 को हिन्दू रीति–रिवाज अनुसार शहर उज्जैन में सम्पन्न हुआ था। विवाह से एक पुत्री चेलसी गेहलोत, उम्र 08 वर्ष जो आवेदिका/माता के साथ निवास कर रही हैं, तथा भविष्य में भी माता के साथ ही रहेगी और वहीं उसका पालन पोषण, शिक्षा आदि का खर्च वहन करेगी। विवाह पश्चात् से ही आवेदकगण के मध्य आपसी वैचारिक मतभेद होने से छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े होते रहे, उनके मध्य

इतना बढ़ गया है कि अब उनका पति पत्नि के रूप में साथ रहना संभव नहीं रहा है। आवेदकगण विगत तीन वर्ष से पृथक पृथक रह रहे हैं। आवेदकगण के परिजनों व समाजजन ने समझाइश के प्रयास किये, किंतु सारे प्रयास विफल रहे, इस कारण उन्होंने आपसी सहमति से विवाह विच्छेद करना तय किया है।

(3) आवेदकगण के मध्य कोई विवाद शेष नहीं रहा है। भविष्य में आवेदिका पत्नि, पति के चल अचल संपत्ति में हक–हिस्सा नहीं रहेगा और इस संबंध में कोई दावा न्यायालय में पेश नहीं किया जाएगा, ना ही भरण पोषण या स्त्रीधन की मांग की जाएगी। विवाह विच्छेद के बाद दोनों स्वतंत्र रूप से जीवनयापन करेंगे। आवेदकगण के मध्य कोई कपट संधि नहीं है। उन्होंने आपसी सहमति से विवाह विच्छेद करना तय किया है। याचिका के समर्थन में आवेदकगण की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं।

(4) आवेदकगण द्वारा पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद याचिका प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् विधि के प्रावधानों के तहत आवेदकगण के मध्य मेल–मिलाप कराने का पूर्ण प्रयास किया गया, किन्तु आवेदकगण अपने आवेदन पर स्थिर रहे, उनके द्वारा प्रकट किया गया कि वे साथ रहना नहीं चाहते, विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान की जाए।

(5) आवेदकगण ने अपनी याचिका के अनुरूप ही कथन करते हुए स्पष्ट रूप से बताया है कि उनका विवाह दिनांक 28.05.2011 को हिंदू रीति रिवाज अनुसार उज्जैन में संपन्न हुआ था, विवाह की असल पत्रिका प्रदर्श ए–1 व फोटोग्राफ प्रदर्श ए–2 है। उनके बीच आपसी मनमुटाव होने से वे एक वर्ष से अधिक समय से अलग अलग निवास कर रहे हैं और अब उनका साथ रहना संभव नहीं रहा है। उनके मध्य दहेज, स्त्रीधन, भरण पोषण, चल–अचल संपत्ति एवं संतान के संबंध में कोई विवाद शेष नहीं रहा है और उनके मध्य कोई दुरभि संधि नहीं है। वे स्वैच्छा से विवाह विच्छेद चाहते हैं।

(6) आवेदकगण के कथनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों से आवेदकगण का विवाह हिंदू रीति रिवाज अनुसार संपन्न होना, विवाह से एक पुत्री का उत्पन्न होना, विवाह पश्चात् उनके मध्य आपसी वैचारिक मतभेद होने से विगत एक वर्ष से अधिक समय

से अलग–अलग निवास करना व भविष्य में अब उनका साथ रहना संभव न होना तथा आवेदकगण के मध्य संतान, संपत्ति, स्त्रीधन, भरण पोषण आदि के संबंध में विवाद अथवा लेन–देन शेष नहीं होना तथा उनके मध्य कोई दुरभि संधि नहीं होना, प्रमाणित होता है। आवेदकगण की सम्मति बल, कपट या असम्यक् प्रभाव द्वारा प्राप्त की गयी हो, ऐसा भी प्रकट नहीं होता है। अतः आवेदकगण को परस्पर सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान की जाना उचित प्रतीत होता है।

(7) परिणामतः आवेदकगण द्वारा पारस्परिक सहमति के आधार पर प्रस्तुत यह विवाह विच्छेद याचिका अंतर्गत धारा–13(बी) हिन्दू विवाह अधिनियम स्वीकार की जाती है एवं निम्न आशय एवं प्रभाव की आज्ञप्ति पारित की जाती है किः–

(अ) आवेदकगण के मध्य दिनांक **28.05.2011** को हिंदू रीति रिवाज अनुसार संपन्न विवाह, आज निर्णय दिनांक **16.06.2023** से विघटितकर विच्छेदित किया जाता है एवं उनके मध्य पति पत्नि के संबंध समाप्त घोषितकर, विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति प्रदान की जाती है।

(ब) आवेदकगण अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

(स) अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर सारणी अनुसार या प्रमाण पत्र अनुसार जो भी कम हो देय हो।

तद्नुसार आज्ञप्ति बनायी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(विवेक कुमार गुप्ता)
प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय उज्जैन (म0प्र0)

मेरे निर्देशन पर टंकित।

(विवेक कुमार गुप्ता)
प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय उज्जैन (म0प्र0)